



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भाग – पांच

5 अभिनव योजना/पहल

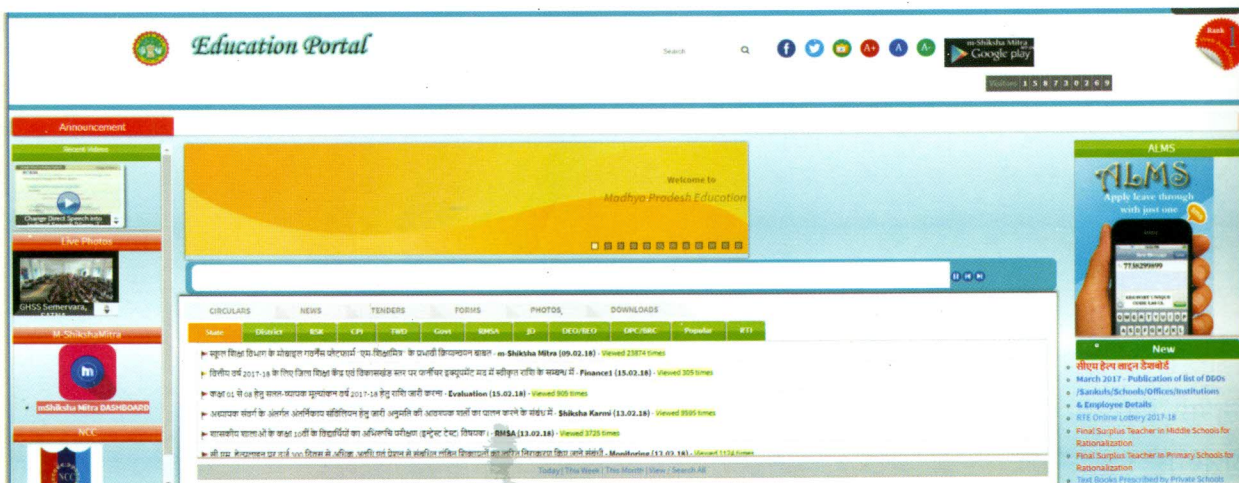
भाग — पांच

अभिनव योजना / पहल

5.1 विभाग में e-governance एवं m-governance

अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर जानकारी की त्वरित उपलब्धता तथा उनके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008 में एन.आई.सी के सहयोग से विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल विकसित किया गया | एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं :

- लगभग 3.9 लाख कर्मचारी एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत प्रोफाइल एवं ई-सेवा पुस्तिका का संधारण
- सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के ऑनलाइन वेतन देयक तैयार करने की व्यवस्था
- वेतन के आधार पर ही सभी अध्यापक संवर्ग का NPS कटौती
- लगभग 1.21 लाख स्कूलों की प्रोफाइल
- ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन
- प्रतिभा पर्व / ई-पाठशाला
- स्कूल नामांकन
- कस्तूरबा गौंधी बालिका विधालय एवं बालिका छात्रावास
- शाला से बाहर बच्चों की निगरानी
- ऑनलाइन सायकिल वितरण प्रणाली
- निर्माण कार्य
- वित्तीय लेखा प्रबन्धन प्रणाली
- युक्तियुक्तकरण प्रणाली —
- अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन प्रणाली



उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप विभाग को इस वर्ष 2017-18 Ministry of Personal, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms & Public Grievances – e-governance Division द्वारा Innovation in Existing Project of Government Departments other than PSUs –Category III में Gold अवार्ड प्रदान किया गया है ।

युक्तियुक्तकरण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन एवं विषयमान के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार की गयी :

- एजुकेशन पोर्टल के पे-रोल सिस्टम के आधार पर शालावार शिक्षकों की सूची पब्लिक डोमेन में प्रकाशित की गयी और संकुल प्राचार्यों को जांचने और यदि किसी प्रकार की त्रुटी होने पर सुधार के निर्देश दिए जाकर डाटा अपडेट कराया गया।
- शिक्षा पोर्टल पर छात्रवार नामांकन के आधार पर शालावार शिक्षकों की आवश्यकता की गणना नामांकन एवं विषयमान से की जाकर नीति के अनुसार शिक्षकों/अध्यापकों को अतिशेष घोषित किया गया।
- प्रकाशित की गयी सूची पर संबंधितों से ऑनलाइन दावा आपत्ति प्राप्त कर सम्बंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा निराकरण कराया गया।
- एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्त पदों वाली शालाओं में पद स्थापना हेतु प्रत्येक सरप्लस शिक्षक से 20-20 विकल्प प्राथमिकता के क्रम में प्राप्त कर पद स्थापना की कार्यवाही की गयी।
- इस प्रकार 89 आदिवासी विकासखंडों और सतना जिले को छोड़कर लगभग 9400 से अधिक शिक्षकों को नवीन शाला आवंटन की कार्यवाही की गयी है।

अध्यापक संवर्ग का अन्तर्निकाय ऑनलाईन संविलियन

स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन के परिपत्र दिनांक F-1/57/2012/20-1 दिनांक 10/07/2017 अध्यापक संवर्ग अंतर्गत पदस्थ अध्यापकों के अंतर्निकाय संविलियन नीति जारी की गयी जिसमें विभिन्न शर्तों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए NIC के माध्यम से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके।

प्रथम चरण में हाई स्कूल/हायरसेकण्ड्री में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक एवं सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला/पीटीआई/संगीत) आदि से लगभग 13000 आवेदन (संविलियन/पारस्परिक) ऑनलाइन आवेदन एजुकेशन पोर्टल पर प्राप्त किये गए प्राप्त हुए जिनका सत्यापन सम्बंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाकर लगभग 6000 आवेदक नीति के अनुसार पात्र पाए गए। आवेदन/सत्यापन की प्रत्येक जानकारी पब्लिक डोमेन पर दर्शित की गयी।

पात्र आवेदकों में से 4600 आवेदकों को प्राथमिकता के अनुसार चाही गयी शालाओं का आवंटन किया गया है। द्वितीय चरण में लगभग 30000 आवेदन (संविलियन/पारस्परिक) प्राप्त होकर सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.2 मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफार्म (एम-शिक्षामित्र) :

इन्टरनेट-युक्त स्मार्ट फोन की सहज उपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाएँ/सेवाओं को चरणबद्ध रूप से एप्प के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए NIC के सहयोग से "m-ShikshaMitra" एप्प को एम्-गवर्नेंस प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया गया है। एप्प के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं (स्टेक होल्डर्स यथा अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकों) को विभाग से सम्बंधित सेवायें और सुविधाएँ एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गयी है।

एम-शिक्षा मित्र के माध्यम से निम्न सुविधाएँ क्रमबद्ध रूप से प्रदान की जा रही है :

- सभी शालाओं की प्रोफाइल, नामांकन, पदस्थ शिक्षक, सुविधाएँ, अधोसंरचना, लोकेशन, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की सूची, शाला को राज्य स्तर से जारी प्राप्त राशियाँ / फंड्स इत्यादि
- पे-स्लिप, अवकाश आवेदन पंजीयन, ई-सेवा पुस्तिका, शिक्षको की विभागीय एवं सेवा संबंधित शिकायतों का पंजीयन एवं ट्रैकिंग
- राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक एवं संकुल स्तर के कार्यालयों द्वारा जारी आदेश / सर्कुलर्स.
- विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि का स्टेटस/ट्रैकिंग, विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रमोशन इत्यादि
- अधिकारियों / शिक्षकों / विद्यार्थियों / कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति
- किसी भी स्थान के पास संचालित सभी स्कूल का मैप पर प्रदर्शन.
- निशुल्क SMS,
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन
- ज्ञान पिटारा



5.3 प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना

5.3.1 योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय विद्यालयों/छात्रावासों के भौतिक एवं अकादमिक विकास हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है। इस योजना के माध्यम से शासकीय शालाओं एवं

छात्रावास को सहायता उपहार या राशि के रूप में शाला/छात्रावास को उपलब्ध होगी, जिससे शाला/छात्रावास में सीखने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उपहार दाता के रूप में कोई भी व्यक्ति/संस्था योजना से जुड़ सकते हैं। उपहार दाता का शाला से जुड़ाव मात्र उपहार देने तक ही सीमित नहीं रहेगा अपितु शाला एवं उपहार दाता के बीच जीवंत संपर्क बना रहेगा ताकि वह भी शाला के भौतिक एवं अकादमिक विकास के साक्षी बन सके।



5.3.2 प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना का स्वरूप

प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना अन्तर्गत शाला से जुड़ने हेतु उपहार दाता के पास तीन विकल्प उपलब्ध हैं –राशि, सामग्री एवं अधोसंरचना के कार्य (अतिरिक्त कक्ष/सम्पूर्ण शाला भवन/शाला का जीर्णोद्धार/भूमि/अन्य अधोसंरचना संबंधी कार्य)।

प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना हेतु पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिससे सभी शालाओं/छात्रावास की आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध एवं कोई भी व्यक्ति/संस्थो/शालाओं/छात्रावास को राशि/उपहार देने की सहमति पोर्टल के माध्यम से दे सकेगा।

5.3.3 योजना अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही

योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला उपहार समिति का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर समिति के अध्यक्ष हैं, इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वायक (RMSA), जिला परियोजना समन्वयक (SSA) सहायक परियोजना समन्वयक मोबलाइजेशन एवं सहायक यंत्री सर्व शिक्षा अभियान, सदस्य हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं।

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय उपहार समिति गठित करने की व्यवस्था, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग हैं तथा आयुक्त, लोक शिक्षण, आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (सदस्य सचिव) सदस्य हैं।

प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना शाला और समुदाय के मध्य जीवंत संपर्क निर्मित करने का उत्तम माध्यम है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से समुदाय की सक्रिय सहभागिता से शाला के अधोसंरचनात्मक एवं अकादमिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 की स्थिति में लगभग 16.19 लाख नगद राशि, 42.70 लाख की भूमि एवं अधोसंरचना तथा 296.64 लाख की शैक्षणिक एवं अन्य सामग्री, शालाओं हेतु प्राप्त हो चुकी है।

5.4 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाओं की अकादमिक मॉनिटरिंग एवं ग्रेडिंग

शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार लाना चुनौतिपूर्ण कार्य है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों की सार्थकता के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्कूल नियमित रूप से अपने अध्ययन-अध्यापन पर नजर रखें तथा सुधारात्मक कार्यवाही करते रहें। गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक शाला द्वारा की जाने वाली मासिक गतिविधियों के आधार पर ग्रेडिंग की व्यवस्था की जाए ताकि शालाओं में होने वाले सुधार को चिन्हित किया जा सके एवं शालाओं में अपनी शाला को श्रेष्ठ शाला के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता आ सकें। अकादमिक सत्र 2017-18 में सितंबर माह से हाई एवं हायरसेकण्डरी स्कूलों में अकादमिक

मॉनिटरिंग एव ग्रेडिंग की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। यह ग्रेडिंग स्वमूल्यांकन आधारित होती है। यह विभाग के विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है।

स्व मूल्यांकन के उपरांत बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था प्रतिभा पर्व के माध्यम से की गई। प्रतिभा पर्व के तहत त्रैमासिक परीक्षाओं के उपरांत सभी हाई एवं हायरसेकेण्डरी स्कूलों का निरीक्षण कर 06.10.2017 से 14.10.2017 तक शाला की शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर का आकलन किया गया। इसी प्रकार अर्द्धवार्षिक परीक्षा के उपरांत प्राचार्य द्वारा भरी गई जानकारी का प्रमाणीकरण एवं शाला की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लगभग 1800 विद्यालयों में दिनांक 15.1.2018 से 18.1.2018 तक प्रतिभा पर्व का संचालन किया गया।

इसका उद्देश्य प्रत्येक हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल का निरीक्षण कर प्रत्येक हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता के आंकलन, प्रत्येक हाई एवं हायरसेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के पालकों, विद्यार्थियों एवं बाल केबिनेट से चर्चा एवं संवाद कर उनकी शाला से अपेक्षाओं को समझना है। इसे सतत प्रक्रिया के रूप में आरंभ किया गया है तथा इसके आशाजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्राचार्य शिक्षक एवं विद्यार्थी मिलकर स्कूल को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

विमर्श पोर्टल

विभाग द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं स्कूलों को अकादमिक दृष्टि से सुदृढ़ करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विमर्श पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :-

1. विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो, मेरिट वाले विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाएं, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र एवं मॉडल उत्तर पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे विद्यार्थी किसी भी विषयवस्तु को आसानी से समझ सकेंगे। इस पोर्टल पर यह भी व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी अपनी पठन-पाठन की जिज्ञासाओं को साझा करके उन जिज्ञासाओं के समाधान भी विशेषज्ञ शिक्षकों से प्राप्त कर सकें।
2. प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी - शिक्षक अपने द्वारा किए गए नवाचारों को साझा कर सकते हैं। अध्यापन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर विशेषज्ञ शिक्षकों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पठन-पाठन हेतु विषय मान से उपलब्ध पठन-पाठन सामग्री, वीडियो इत्यादि का उपयोग कर अपने पठन-पाठन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
3. अकादमिक मॉनिटरिंग - स्कूल प्रतिमाह अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। वे अपनी स्थिति एवं विकासखंड, जिले एवं राज्य स्तर पर अन्य स्कूलों की स्थिति देख सकते हैं। स्कूल अपनी ग्रेडिंग एवं ऐसे मुद्दे जिन पर कार्यवाही कर सुधार किया जा सकता है, का विश्लेषण कर सकते हैं।

5.5 प्रेरणा संवाद

मध्यप्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के साथ दिनांक 15 से 30 जनवरी 2018 तक प्रदेश व्यापी प्रेरणा संवाद का आयोजन किया गया।

इस प्रदेशव्यापी कार्यक्रम में माननीय जनप्रतिनिधिगण यथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय जिला/जनपद पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय महापौर नगर निगम एवं प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में शासकीय अधिकारियों द्वारा शालाओं का भ्रमण किया गया।

संवाद के दौरान माननीयों एवं अधिकारियों के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना तथा उच्च शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की जानकारी विद्यार्थियों को देकर बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया।

प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय 7621 हायर सेकेण्ड्री शालाओं में प्रेरणा संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ।

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2018 को मॉडल स्कूल में आयोजित प्रेरणा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी देते हुए बेहतर परीक्षा परिणाम हेतु प्रयास करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया।



5.6 समेकित विद्यालय योजना

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आसपास के विद्यालयों को नजदीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाकर भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का एकीकरण कर सर्व सुविधायुक्त विद्यालय परिसर का विकास करने हेतु बैतूल जिले में विकासखण्ड बैतूल के शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार को समेकित विद्यालय पायलेट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। समेकित विद्यालय लागू किये

जाने पर विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था एवं पाठ्येत्तर गतिविधियां अपेक्षित स्वरूप में संचालित होने से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु वातावरण का निर्माण हो सकेगा तथा बेहतर शिक्षा हेतु पालकों का निजी शाला की तरफ रुझान कम हो सकेगा। एक ही परिसर में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों में आपसी संवाद के साथ वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों को सतत मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकेगा। पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर योजना का विस्तार अन्य जिलों में किया जा सकेगा।

5.7 रोटेशन से बैठना

विद्यालयों में सामान्यतः देखा गया है कि कतिपय बच्चों हमेशा एक नियत स्थान पर सबसे आगे, सबसे पीछे अथवा अन्य स्थान पर बैठते हैं। इस प्रक्रिया में जो बच्चों पीछे बैठते हैं वे हमेशा ही पीछे बैठे रहते हैं। सभी बच्चों को बारी-बारी से आगे बैठने का मौक़र मिले और इस विषय को लेकर बच्चों के मन में कोई कुंठा पैदा न हो इस उद्देश्य से संचालनालय के पत्र क्रमांक/जे.डी./ विद्या/ पी.ए. /2016/209 दिनांक 25.1.2017 द्वारा कक्षाओं में विद्यार्थियों को रोटेशन से बैठाये जाने के संबंध में समस्त संबंधितों को निर्देशित किया गया है।

5.8 शाला में प्रतिदिन ध्वजारोहण

शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों में देश भक्ति की भावना के विकास के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित समस्त माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रतिदिन शाला संचालन से पूर्व सम्मान पूर्वक ध्वजारोहण किये जाने के निर्देश विभागीय आदेश दिनांक 10.5.2017 द्वारा जारी किये गये हैं।

5.9 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक को 2 साल उपयोग करना

प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकांश बच्चों की पुस्तकें उनके उस कक्षा के उत्तीर्ण करने के उपरांत ऐसी स्थिति में रहती हैं कि उनका उपयोग उस कक्षा में आने वाले नये विद्यार्थियों द्वारा पुनः किया जा सके। इस प्रकार ऐसी पुस्तकों के उपयोग से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि शासन की निधि की बचत भी की जा सकेगी। इस उद्देश्य को लेकर संचालनालय के पत्र क्रमांक/ लोशिक्ष/ विद्या/ डी/ 09/ 95- 21/ 2017/ 2490 भोपाल दिनांक 12.9.2017 द्वारा बुक बैंक योजना प्रारंभ कर मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों से उपयोग की गई पुस्तकें शाला प्रबंधन द्वारा जमा करवाकर नवीन छात्रों को निःशुल्क वितरण किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

5.10 महापुरुषों की जीवनी/ जयंती

विद्यार्थियों में हमारी सांस्कृतिक व समृद्ध विरासत तथा देश के महापुरुषों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों से प्रेरित होने के उद्देश्य को लेकर प्रार्थना सभा बालसभा में महापुरुषों की जीवनी/जयंती के संबंध में जानकारी देने के निर्देश शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष 2017-18 में समाहित किए गए हैं।



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भाग — छः

6 प्रकाशन

भाग - छः

प्रकाशन

6.1 लोक शिक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख गतिविधियों के संग्रहण एवं संदर्भीकरण की दृष्टि से निम्नानुसार प्रकाशन किये गये : -

- (1) शैक्षणिक कलेण्डर - प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र के दौरान निर्धारित शिक्षण दिवसों में पाठ्यक्रम का शिक्षण पूर्ण हो इस उद्देश्य से शैक्षणिक कलेण्डर का प्रकाशन किया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षण के अतिरिक्त अन्य सहायक गतिविधियों के संचालन व उसमें एकरूपता की दृष्टि से भी यह कलेण्डर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है।
- (2) बालरंग स्मारिका - वार्षिक बाल रंग कार्यक्रम के पश्चात बालरंग स्मारिका का प्रकाशन किया जाता है। स्मारिका के बालरंग कार्यक्रम की झलकियों के साथ साथ अन्य भागीदार प्रदेशों के बार में रोचक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

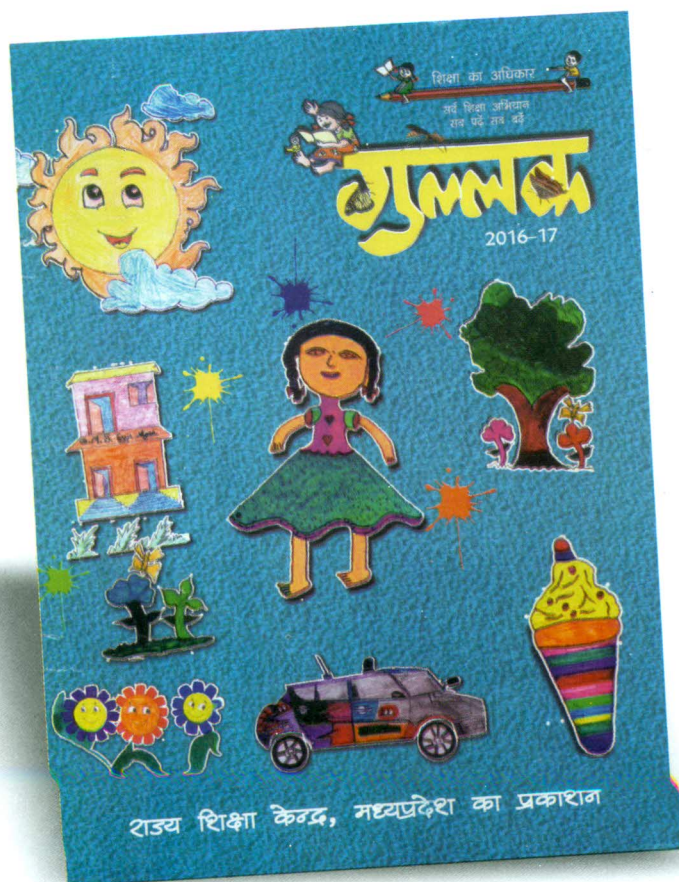


6.2 राज्य शिक्षा केन्द्र

6.2.1 वार्षिक पत्रिका 'गुल्लक'

पत्रिका 'गुल्लक' में प्रकाशित होने वाली रचनाओं हेतु सत्र के आरंभ से ही शालाओं में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बालसभाओं के दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत कहानी, कविताओं, चित्रकलाओं आदि को संकलित एवं लिपिबद्ध कर जन शिक्षा केन्द्र के माध्यम से विकासखण्ड को उपलब्ध कराई गई। विकासखण्ड स्तर पर चयनित रचनाओं को जिला स्तर पर संकलित किया गया। इन संकलित रचनाओं में से प्रत्येक जिले से तीन रचनाओं का चयन कर राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराई गई। जिले स्तर पर शेष रचनाओं को जिले स्तरीय पत्रिका 'नवांकुर' में प्रकाशित किया गया। 'नवांकुर' का प्रकाशन प्रत्येक जिले से किया गया।

बालपत्रिका "गुल्लक" की विशेषता है कि इसमें बच्चों की रचनाओं को उनके नाम, शाला के नाम के साथ प्रकाशित किया गया है। उक्त पत्रिका का विमोचन राज्य स्तर पर आयोजित 'मिल-बाँचें मध्यप्रदेश' कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 26 अगस्त 2017 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के करकमलों द्वारा माननीय मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह की उपस्थिति में विमोचन किया गया।



6.3 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान

पाठ्यक्रम शिक्षण के अतिरिक्त अन्य सहायक गतिविधियों के संचालन व उसमें एकरूपता की दृष्टि से भी यह कलेण्डर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

[illegible]

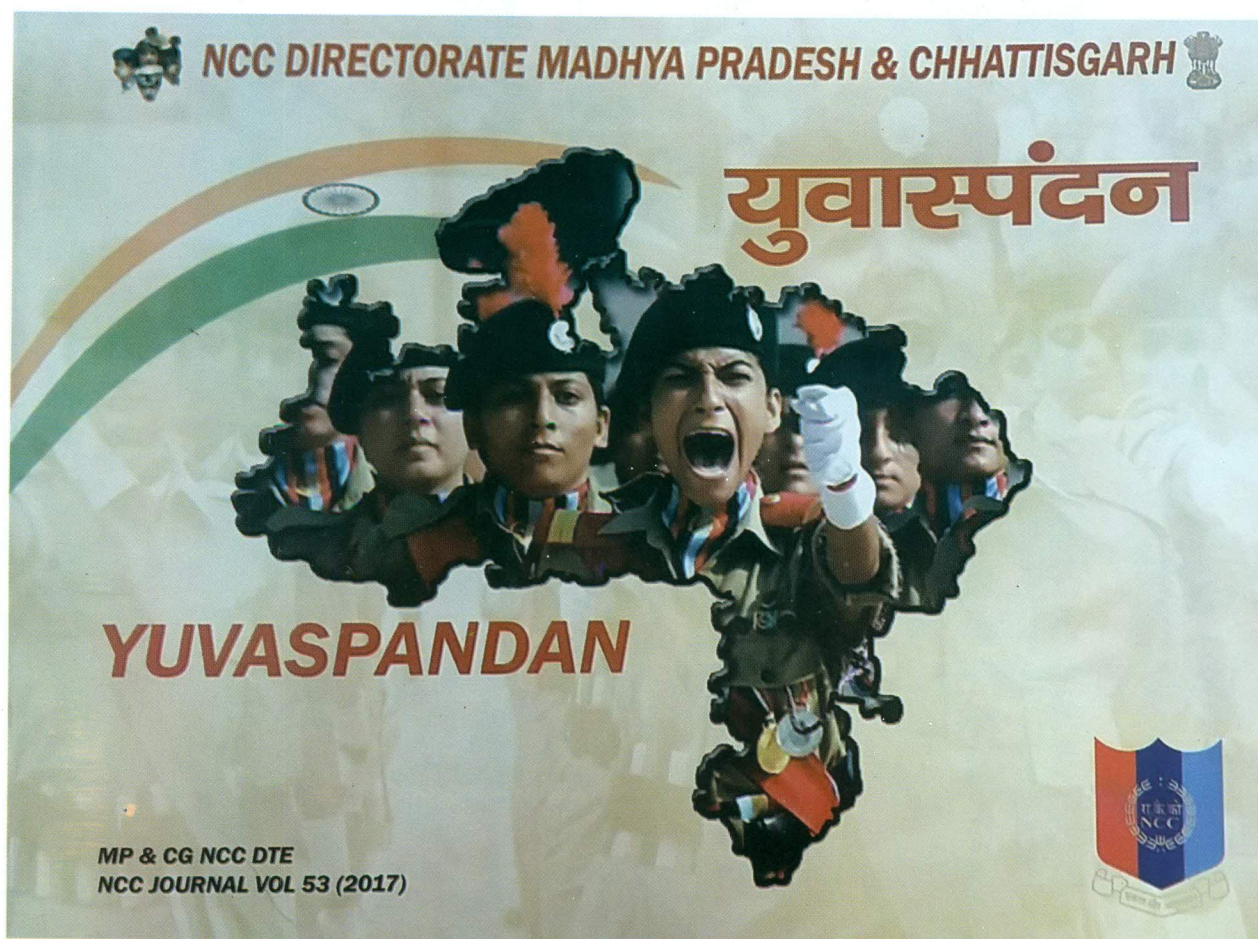
6.4 म.प्र. मदरसा बोर्ड

मदरसा बोर्ड द्वारा 22 सितम्बर 2017 को मदरसा बोर्ड के 20 वें स्थापना दिवस का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ जिसमें उनके द्वारा म.प्र. में मदरसों का आधुनिकीकरण "एक नज़र में" नाम से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।



6.5 एनसीसी संचालनालय

प्रतिवर्ष एनसीसी जनरल का प्रकाशन किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान संपादित एनसीसी गतिविधियों इत्यादि का विवरण दर्शाया जाता है। वर्ष 2017 में एनसीसी जनरल का 53वां संस्करण 'युवास्पंदन' नाम से प्रकाशित किया गया जिसकी 1330 प्रतियां मुद्रित कराई गईं। उक्त एनसीसी जनरल का विमोचन एनसीसी दिवस के अवसर 26 नवम्बर 2017 को माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया।



सीखने के प्रतिफल

सीखने के प्रतिफल को सीखने की सम्प्राप्ति भी कहा गया है। सीखने के प्रतिफल से आशय यह है कि बच्चों को प्रत्येक विषय में शैक्षणिक सत्र के अन्त में क्या-क्या सीखना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत एक शैक्षणिक सत्र में प्राथमिक शाला में 200 दिन तथा माध्यमिक शाला में 200 दिन शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। अतः यह स्वाभाविक प्रश्न होगा कि इतने दिनों तक शाला जाने के पश्चात् बच्चों ने क्या सीखा? सीखने के प्रतिफल निर्धारित होने से अब माता-पिता/ पालक, शाला प्रबंधन समिति, समुदाय एवं स्वयं शिक्षक यह जान पाएंगे कि अकादमिक सत्र की समाप्ति उपरान्त बच्चे कितना सीख रहे हैं। सीखने के प्रतिफल अनुसार अपेक्षाकृत प्रगति न हो इस संबंध में शिक्षकों से जरूर चर्चा की जाए।

